Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

38-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2019 (PHALGUNA 7, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 26th February, 2019

No. 15-HLA of 2019/19/4129.— The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 15- HLA of 2019.

THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Municipal (Amendment) Act, 2019.

Amendment of section 13 of Haryana Act 24 of 1973.

2. In section 13 of the Haryana Municipal Act, 1973 (hereinafter called the principal Act), after the words "Official Gazette", the words "by the State Government" shall be inserted.

Insertion of section 18A in Haryana Act 24 of 1973.

3. After section 18 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"18A. Time line for election of President and Vice-President.- (1) Unless the State Government otherwise directs, the Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, within thirty days of the publication of the notification of the names of the members elected to a committee, convene the first meeting of the newly constituted committee at forty-eight hours' notice to be delivered at their ordinary place of residence to administer an oath of allegiance under section 24. The notice shall clearly state that the oath of allegiance shall be administered to the members present.

(2) The Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, within a period of thirty days of the meetings referred to in sub-section (1), convene a

meeting of the members at forty-eight hours' notice to be delivered at their ordinary place of residence. The notice shall clearly state that the oath of allegiance shall be administered to the left over members and that the election of the President and Vice-President shall be held in the meeting. The conv shall firstly administer the oath of allegiance to the left over members and thereafter shall preside over the meeting of the election of the President and Vice-President.

(3) If the members fail to elect the President and Vice-President in the meeting convened under sub-section (2), the Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, within a period of thirty days of the meeting referred to in sub-section (2), convene meeting of the members for the election of the President and Vice-President as per the procedure mentioned above until the President and Vice-President are elected.

(4) If the members fail to elect the President and Vice-President in the meetings convened under sub-sections (2) or (3) till the expiry of five months from the date of notification of elected members by the State Election Commission, the Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, convene a meeting of the members for the election of the President and Vice-President at forty-eight hours' notice to be delivered at their ordinary place of residence. The notice shall clearly state that if the members fail to elect the President and Vice-President in the meeting, the committee shall be deemed to have been dissolved without any further notice or order.

(5) Notwithstanding anything contrary to this Act, if the members fail to elect the President and Vice-President in the meetings convened after following the procedure provided under aforesaid provisions till the expiry of six months from the date of notification of the elected members, the committee shall be deemed to be dissolved with immediate effect without following any procedure provided under the Act or rules made thereunder:

Provided that such meetings shall be deemed to be validly convened meetings of the committee.

(6) Notwithstanding anything contained in any bye-laws made under section 31, the administration of the oath of allegiance and the election of the President and Vice-President shall be recorded as part of the proceedings in the minutes of the meetings.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. As per the provision of Section-13 of the Haryana Municipal Act, 1973, the Deputy Commissioner has been empowered to accept the resignation of member of committee and the resignation shall be notified in the Official Gazette, but it has not been defined that which authority shall notify the said resignation.

2. Law and Legislative Department has advised that, to avoid any embiguity and to make the position cleared and unambiguous, an authority, as deemd appropriate, may be specified by the Government by carring out an amendment to this effect. Therefore, it is to be inserted in Section-13 of the Haryana Municipal Act, 1973 that the Government shall notify the resignation of member in the Official Gazette.

3. Further, it has been observed that the election of President and Vice-President in the Municipalities is not being conducted by the members within prescribed period of two months from issuance of notification of elected members by the State Election Commission.

4. To elect the President and Vice-President in the Municipalities in time-bound manner, provisions have been proposed to be made by inserting Section-18A in the Hayana Municipal Act, 1973, that if the members fail to elect the President and Vice-President till the expiry of five months from the date of notification of elected members, a meeting shall be convened with the notice that if the members of the committee fail to elect President and Vice-President in the meeting, till the expiry of six months, elected house deemed to have been dissolved without any further notice or order. Thereafter, the house of elected members deemed to be dissolved.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 26th February, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 15–एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019
हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973,
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है ।

1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 13 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 13 में, ''राजपत्र'' शब्द से पहले ''राज्य सरकार द्वारा'' शब्द रखे जाएंगे।

1973 का हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 18क का रखा जाना।

3. मूल अधिनियम की धारा 18 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''18क. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए समय सीमा.– (1) जब तक राज्य सरकार अन्यथा निदेश नहीं करती, उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, धारा 24 के अधीन राजनिष्ठा की शपथ दिलाने हेतु उनके सामान्य निवास स्थान पर परिदत्त किए जाने वाले अड़तालीस घंटे के नोटिस पर नव गठित समिति की प्रथम बैठक बुलाएगा। नोटिस में स्पष्ट कथित होगा कि राज्यनिष्ठा की शपथ उपस्थित सदस्यों को दिलाई जाएगी।

(2) उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, उप–धारा (1) में निर्दिष्ट बैठकों के तीस दिन की अवधि के भीतर, उनके सामान्य निवास स्थान पर परिदत्त किए जाने वाले अड़तालीस घंटे के नोटिस पर सदस्यों की बैठक बुलाएगा। नोटिस में स्पष्ट कथित होगा कि शेष रह गए सदस्यों को राज्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन बैठक में किया जाएगा। संयोजक प्रथमतः शेष रह गए सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलाएगा तथा उसके बाद अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की बैठक का अध्यक्षता करेगा।

(3) यदि सदस्य उप–धारा (2) के अधीन बुलाई गई बैठक में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहते हैं, तो उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, उप–धारा (2) में निर्दिष्ट बैठक की तीस दिन की अवधि के भीतर, जब तक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं किए जाते हैं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सदस्यों की बैठक बुलाएगा।

(4) यदि सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना की तिथि से पांच मास की समाप्ति तक उप–धारा (2) या (3) के अधीन बुलाई गई बैठकों में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहते हैं, तो उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, उनके सामान्य निवास स्थान पर परिदत्त किए जाने वाले अड़तालीस घंटे के नोटिस पर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सदस्यों की बैठक बुलाएगा। नोटिस में स्पष्ट कथित होगा कि यदि सदस्य बैठक में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहते हैं, तो समिति किसी और नोटिस या आदेश के बिना विघटित की गई समझी जाएगी।

(5) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, यदि सदस्य, निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना की तिथि से छह मास की समाप्ति तक उपरोक्त उपबन्धों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद, बुलाई गई बैठकों में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहते हैं, तो समिति अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित किसी प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना तुरन्त प्रभाव से विघटित की गई समझी जाएगी :

परन्तु ऐसी बैठकें समिति की वैध रूप में बुलाई गई बैठकें समझी जाएंगी।

(6) धारा 31 के अधीन बनाई गई किन्हीं उपविधियों में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्यनिष्ठा की शपथ का दिलाना तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन बैठकों के कार्यवृत्तों में कार्यवाहियों के भाग के रूप में अभिलिखित किए जाएंगे।''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा–13 में वर्णित प्रावधान अनुसार, उपायुक्त को पालिका के सदस्य का त्यागपत्र स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान गई है तथा त्यागपत्र सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा, परन्तु यह वर्णित नही है कि यह त्यागपत्र किस प्राधिकारी द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

2. विधि एवं विधायी विभाग द्वारा किसी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए तथा स्थिति स्पष्ट करने हेतु, प्राधिकारी जैसा उचित समझे, को इस प्रभाव के एक संशोधन की पालना करते हुए सरकार द्वारा स्पष्ट करने का परामर्श दिया गया है। इसलिये, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा–13 में यह प्रावधान किया जाना है कि पालिका के सदस्य का त्यागपत्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

3. आगे, यह निरीक्षण किया गया है कि पालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रधान व उप–प्रधान का चुनाव, राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना जारी करने की दो माह की निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जा रहा है।

4. पालिकाओं में प्रधान व उप–प्रधान का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा समयबद्ध तरीके से करने के लिये हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 18क को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित किया गया है कि, यदि निर्वाचित सदस्य उनके निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच माह के अन्दर प्रधान व उप–प्रधान का चुनाव करवाने में असफल रहते हैं तो उन्हें यह स्पष्ट नोटिस देकर बैठक आयोजित की जायेगी कि यदि छः माह की अवधि तक वह प्रधान व उप–प्रधान का चुनाव नहीं कर पाते हैं, तो बिना किसी नोटिस या आदेशों के निर्वाचित सदन को भंग समझा जायेगा। तदोपरान्त बिना किसी प्रक्रिया के निर्वाचित सदन भंग हो जायेगा।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 26 फरवरी, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।

56902—H.V.S.—H.G.P., Chd.